मेसर्स प्राईम विजन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, 312, तृतीय तल, विशाल चैम्बर, पी–1, सेक्टर–18, नोएडा–201301(उ0प्र0) द्वारा ग्राम–दरिया बरामद, तहसील व जनपद–सहारनपुर, उ0प्र0 में यमुना नदी बैंक से 9,47,368 एम0टी0पी0ए0 (माईन लीज एरिया 52.63 हैक्टेयर, गाटा सं0–1/1) सैण्ड खनन हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सहारनपुर की अध्यक्षता में आयोजित लोकसुनवाई दिनांक–26.12.2018 की कार्यवृत्त।

मेसर्स प्राईम विजन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, 312, तृतीय तल, विशाल चैम्बर, पी–1, सेक्टर–18, नोएडा–201301(उ0प्र0) द्वारा ग्राम–दरिया बरामद, तहसील व जनपद–सहारनपुर, उ0प्र0 में यमुना नदी बैंक से 9,47,368 एम0टी0पी0ए0 (माईन लीज एरिया 52.63 हैक्टेयर, गाटा सं0–1/1) सैण्ड खनन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव दिनांक–23.10.2018 को प्रेषित किया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त प्रस्ताव पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आम सूचना दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, सहारनपुर संस्करण (हिन्दी)एवं हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली, संस्करण(अंग्रेजी) में दिनांक– 23.11.2018 को आम जनता से पर्यावरण सम्बन्धी आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर आमंत्रित किये गये थे तथा लोक–सुनवाई दिनांक 26.12.2018 को किये जाने की तिथि नियत की गयी थी। उक्त निर्धारित अवधि में कोई आक्षेप/सुझाव/आपत्ति आदि विज्ञप्ति में उल्लिखित कार्यालयों (जिलाधिकारी सहारनपुर, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0–12वी0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ तथा क्षेत्रीय कार्यालय,उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 33/18, कपिल विहार, सहारनपुर)में प्राप्त नहीं हुए हैं। मेसर्स प्राईम विजन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, द्वारा उक्त स्थल पर यमुना नदी से बालू खनन सम्बन्धी प्रेषित आवेदन पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–14.09.2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लोक सुनवाई मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सहारनपुर की अध्यक्षता में परियोजना स्थल के समीप प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्राम–हैदरपुर, विकास खण्ड क्षेत्र सरसावा, जनपद–सहारनपुर पर किये जाने का आयोजन किया गया। लोक सुनवाई में 185 लोग उपस्थित थे। हस्ताक्षरयुक्त उपस्थिति प्रपत्र आख्या के साथ अलग से संलग्न है।

सर्वप्रथम मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सहारनपुर लोकसुनवाई स्थल पर पहुंची, तत्पश्चात उन्होनें इच्छा व्यक्त की कि यमुना नदी का वह स्थल जिस स्थल पर खनन का कार्य किया जाना है को देखना है। खनन अधिकारी जनपद–सहारनपुर, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर, मय स्टाफ, मेसर्स प्राईम विजन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0 की टीम, आस–पास के ग्रामीणों के साथ गांव के रास्ते से तथा यमुना नदी पर बने ग्रामीणों पुल के पास के रास्ते से जाकर स्थल का निरीक्षण किया तथा यह जाना कि यमुना नदी में किस जगह पर बालू का खनन किया जाना है। ग्राम के रास्तें से एवं यमुना नदी के पुल के रास्ते से खनन स्थल तक जाने का रास्ता नहीं है।

स्थल निरीक्षण के पश्चात मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सहारनपुर लोक सुनवाई के आयोजन स्थल पर पहुंची। लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर के क्षेत्रीय अधिकारी, श्री एस0आर0मौर्या ने उपस्थित अध्यक्ष महोदया एवं आम जनता का स्वागत करते हुए अवगत कराया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ,नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस0ओ0–1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित उक्त प्रस्ताव पर लोक–सुनवाई की प्रकिया अपनायी जानी आवश्यक है। प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार मेसर्स प्राईम विजन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, 312, तृतीय तल, विशाल चैम्बर, पी–1, सेक्टर–18, नोएडा–201301(उ0प्र0) द्वारा ग्राम–दरिया बरामद, तहसील व जनपद–सहारनपुर, उ0प्र0 में यमुना नदी बैंक से 9,47,368 एम0टी0पी0ए0 (माईन लीज एरिया 52.63 हैक्टेयर, गाटा सं0–1/1) सैण्ड का खनन किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय, सहारनपुर के पत्र संख्या–421/खनिज/2017–18 दिनांक–15.03.2018 द्वारा मेसर्स प्राईम विजन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, 312,

तृतीय तल, विशाल चैम्बर, पी–1, सेक्टर–18, नोएडा–201301(उ0प्र0) को निर्देशित किया गया है कि बालू खनन पट्टा स्वीकृति होने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाये, जिससे खनन पट्टा स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा सके। आवेदक मेसर्स प्राईम विजन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, 312, तृतीय तल, विशाल चैम्बर, पी–1, सेक्टर–18, नोएडा–201301(उ0प्र0), द्वारा भू–तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय उ0प्र0 खनिज भवन लखनऊ के पत्र लखनऊ के पत्र 229(1)/मान0 प्लान/2017, दिनांक–07.05.2018 खनन पटटा प्राप्त करने हेतु योजना का अनुमोदन किया गया है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राप्त प्रस्ताव एवं पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रकाश डालने हेतु आवेदक के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित श्री अमित कुमार सैनी, प्रधान प्रबन्धक, इन्वॉयरमेन्ट, मेसर्स ओवरसीज मिनटैक कन्सलटैन्ट, जयपुर, राजस्थान को आमंत्रित किया गया। इसी मध्य मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सहारनपुर द्वारा बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों का परिचय जानना चाहा कि कौन–कौन से व्यक्ति गांव के हैं एवं कौन–कौन से व्यक्ति गांव के बाहर के हैं, उनसे हाथ उठवाकर परिचय जाना गया, लोगों ने हाथ उठाकर परिचय दिया। श्री अमित कुमार सैनी, प्रधान प्रबन्धक, इन्वॉयरमेन्ट, मेसर्स ओवरसीज मिनटैक कन्सलटैन्ट, जयपुर, राजस्थान के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर लोक सुनवाई के दौरान निम्नवत् प्रकाश डाला गया। आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि मेसर्स प्राईम विजन इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, 312, तृतीय तल, विशाल चैम्बर, पी–1, सेक्टर–18, नोएडा–201301(उ0प्र0) द्वारा बालू खनन क्षेत्र ग्राम–दरिया बरामद, तहसील व जनपद–सहारनपुर, उ0प्र0 में यमुना नदी बैंक से 9,47,368 एम0टी0पी0ए0 (माईन लीज एरिया 52.63 हैक्टेयर, गाटा सं0–1/1) बालू का खनन किया जाएगा। बालू खनन पट्टे के लीज का क्षेत्रफल अक्षांश 30 °4'28.04'' उत्तर से देशान्तर 77 °22'9.18" पूरब के मध्य स्थित है।

1. यमुना नदी से बालू का खनन अधिकतम 3.0 मीटर की गहराई तक ओपेन कास्ट सेमी–मैकेनाइज्ड पद्धति (खुली खान अर्ध मशीनीकृत पद्वति) से किया जायेगा। हाथों के औजार के रूप में फावड़ा, बाल्टी, बेलचा, चलनी आदि का प्रयोग किया जायेगा। खनन का कार्य केवल दिन में ही किया जायेगा तथा वर्षा काल में खनन का कार्य पूरी तरह से बन्द रखा जायेगा। बालू खनन का कार्य इस प्रकार से किया जायेगा, जिससे कि भूगर्भ जल स्तर प्रभावित न हो। बालू खनन का कार्य नदी के किनारे सेफ जोन (समुचित क्षेत्रफल में) छोड़कर किया जायेगा तथा खनन का कार्य नदी के बहाव क्षेत्र से ही किया जायेगा। नदी के किनारे आवागमन हेतु रैम्प की व्यवस्था की जायेगी। खान की आयु 05 वर्ष तथा प्रतिवर्ष कार्य दिवस की सं0–270 दिन होगी।
2. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बालू खनन में जल की कोई आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु खनन एवं उसके समीपस्थ क्षेत्र में धूल के कण को उड़ने से रोकने के लिए निरन्तर जल का छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन कार्य में संलग्न कार्मिकों की कुल संख्या लगभग 52 होगी, जिसके लिए शुद्ध जल की आपूर्ति किया जायेगा। खनन के आस–पास के क्षेत्र में धूल के कण को रोकने हेतु नदी के जल से नियमित रूप से छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन कार्य में संलग्न कार्मिकों हेतु अस्थायी शौचालय की व्यवस्था स्थापित की जायेगी। घरेलू प्रयोजन से जनित होने वाले बहिश्राव के शुद्धिकरण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित की जायेगी। परियोजना के कुल 9.58 किलोलीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होगी, जिनमें से धूल उत्सर्जन की रोकथाम एवं अन्य कार्यो के लिए 3.2 किलोलीटर प्रतिदिन, घरेलू कार्यो के लिए 0.88 किलोलीटर प्रतिदिन तथा हरित पट्टिका के लिए 5.5 किलोलीटर प्रति दिन प्रयोग में लाया जायेगा। प्राजेक्टर के माध्यम से दी जा रही उपरोक्त सूचना देने के दौरान मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने जल की खपत एवं इसकी आपूर्ति के संबंध में आवेदक के प्रतिनिधि को अलग से स्पष्ट सूचना दिये जाने के निर्देश दिये गये। प्रतिनिधि द्वारा दिनांक–26.12.2018 को लिखित रूप से सूचना प्रेषित की गयी है की जल की आपूर्ति राज्य सरकार के स्थानीय निकायों के माध्यम से की जायेगी।
3. आवेदक के प्रतिनिधि ने परियोजना की आर्थिक आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि परियोजना से आस–पास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे तथा लोगों की सामाजिक एवं

4. आवेदक प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि बालू खनन गतिविधियों जैसेः–लोडिंग, अनलोडिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन से परिवेशीय वायु गुणता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए नियमित रूप से जमीन को नम करने हेतु पानी का छिड़काव किया जायेगा। बालू खनन क्षेत्र तक सुगमतापूर्वक आवागमन हेतु समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था की जायेगी। बालू को ढ़ोने में संलग्न वाहनों को बालू के ऊपर पॉलीथीन से ढ़ककर भेजा जायेगा। बालू खनन कार्य बाल श्रमिकों द्वारा नहीं किया जायेगा। उन्होंने आगे बताया कि परियोजना स्थल से 10 किलोमीटर त्रिज्यक दूरी के अन्दर कोई भी संरक्षित वन क्षेत्र/बर्ड सेन्चुरी आदि स्थित नहीं है।

5. **अगले 5 साल का सी0एस0आर0 प्रस्तावित वार्षिक खर्च।**

5.1 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (हर साल एक गतिविधि) जैसे कि पानी कूलर, अल्मिरा, टेबल इत्यादि पास के स्कूल में उपलब्ध कराई जायेगी (रू0 3 लाख)।

5.2 ग्रामीणों के लिये स्वास्थ्य जांच शिविर (सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिये वर्ष मे दो बार शिविर आयोजित किया जायेगा।) (रू0 2.5लाख)।

5.3 ग्रामीणों के लिये पीने का पानी और स्वच्छता सुविधा (रू0 2.5 लाख)।

5.4 शिक्षा (पुस्तकें और बच्चों के लिये विद्यालय वर्दी का वितरण) प्रति वर्ष 50 छात्र और खेल विकास (स्कूल में खेल दिवस आयोजित करने में सहायता) (हर साल दो गतिविधि) (रू0 3.5 लाख)।

6. **पर्यावरण प्रबन्धन परियोजना के प्रस्तावित वार्षिक खर्च ।**

6.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण– जल छिडकाव (रू0 6.48 लाख)।

6.2 पर्यावरण निगरानी और प्रबन्धन (रू0 1.5 लाख)।

6.3 ग्रीन बेल्ट विकास (रू0 4.5 लाख)।

6.4 जल प्रदूषण नियंत्रण (रू0 0.52 लाख)।

6.5 सडक बनाने/रखरखाव (रू0 2.26 लाख)।

7. आवेदक के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वैज्ञानिक ढंग से बालू खनन किये जाने से नदी के चैनल का नियंत्रण होगा, नदी के किनारों का भू–क्षरण नहीं होगा, आस–पास के कृषि भूमि के डूबने की सम्भावना कम होगी, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण संरचनाओं हेतु कच्ची सामग्री के रूप में बालू उपलब्ध होगा, रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ–साथ क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

8. आवेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था परियोजना में समावेशित है। पर्यावरण के सभी घटकों जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं सामाजिक–आर्थिक परिवेश पर सम्भावित अधिप्रभावों का आंकलन करते हुए सम्बन्धित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित प्रस्ताव पर्यावरण अधिप्रभाव मुल्यांकन आख्या(इन्वायरन्मेन्ट इम्पैक्ट असेस्मेन्ट रिपोर्ट) में दिये गये हैं। इस प्रकार पर्यावरण अधिप्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार समस्त पर्यावर्णीय घटकों का समग्र आंकलन धनात्मक अधिप्रभाव को इंगित करता है।

लोक सुनवाई के दौरान आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा बालू खनन प्रस्ताव पर विस्तृत प्रकाश डालने के पश्चात मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सहारनपुर ने सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय से सुझाव, विचार एवं आपत्ति दर्ज कराने हेतु आमंत्रित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा प्रश्न पूछे गये, जिसका उत्तर आवेदक के प्रतिनिधि द्वारा दिया गया :–

प्रश्न–1 श्री अशोक कुमार एडवोकेट, ग्राम–जूडडी, तहसील–नकुड, द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि बालू खनन की प्रक्रिया से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पडेगा, इससे संबंधित आपके क्या प्रोग्राम किया जायेगा।

उत्तर'– श्री अमित कुमार सैनी, प्रधान प्रबन्धक, इन्वॉयरमेन्ट, मेसर्स द्वारा ओवरसीज मिनटैक कन्सलटैन्ट, जयपुर, राजस्थान ने अवगत कराया कि इस प्रक्रिया से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु पानी का छिडकाव, ट्रास्पोर्टेशन वाहन का तिरपाल से कवर किया जायेगा, सडकों पर पानी का छिडकाव किया जायेगा। ग्रामीणों के लिये स्वास्थ्य जांच शिविर (सामान्य स्वास्थ्य जांच के लिये वर्ष मे दो बार शिविर आयोजित किया जायेगा।)

प्रश्न–2 श्री गुरप्रीत सिंह बग्गा याचिकाकर्ता मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली पूछा कि ट्रक निकलने से फसलें खराब होगीं, सडक की चौडाई क्या होगी, पानी का छिडकाव दो–तीन बार कराने से काम नहीं चलेगा, खनन के वाहन के चलने से प्रदूषण होगा।

उत्तर– श्री अमित कुमार सैनी, प्रधान प्रबन्धक, इन्वॉयरमेन्र्ट, मेसर्स ओवरसीज मिनटैक कन्सलटैन्ट, जयपुर, राजस्थान ने अवगत कराया कि धूल को रोकनें के लिये यथा आवश्यकतानुसार 4–5 बार भी जल का छिडकाव किया जायेगा, खनन के वाहनों को ओवर लोड होने से रोका जायेगा, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। सडक की चौडाई 09–10 मी0 इस प्रकार चौडी की जायेगी की कम से कम 02 वाहनों की आमने–सामने आवा–जाही हो सके, सडक के किनारें वृक्षारोपण किया जायेगा आदि।

प्रश्न–3 श्री शोऐब चौधरी, ग्राम–हैदरपुर, विकास खण्ड सरसावा, जनपद–सहारनपुर ने पूछा कि मेरी जानकारी के अनुसार गांव में दो बार बाढ आ चुकी है, खनन से बाढ की समस्या होगी, मेरे गांव के पास रेलवे क्रासिंग है अपने बच्चों को सुबह स्कूल लेकर जाने के समय एवं दोपहर बाद स्कूल से आने के समय रेलवे क्रासिंग बन्द होने पर धूल के कणों से समस्या उत्पन्न होगी।

उत्तर– श्री अमित कुमार सैनी, प्रधान प्रबन्धक, इन्वॉयरमेन्र्ट, मेसर्स ओवरसीज मिनटैक कन्सलटैन्ट, जयपुर, राजस्थान ने अवगत कराया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नदियों में बाढ न आये इसलिये ही खनन की अनुमति दी जाती है। खनन इस प्रकार किया जायेगा जिससे बाढ की समस्या नहीं होगी। खनन वाहनों को तिरपाल से ढक्कर बालू को भिगो कर भेजा जायेगा। स्कूल के समय यह ध्यान रखा जायेगा कि उस समय पर खनन वाहनों का आवागमन न हो।

प्रश्न–4 श्री नितीन, ग्राम–हैदरपुर, विकास खण्ड सरसावा, जनपद–सहारनपुर ने पूछा कि खनन से खेती की जमीन का कटाव हो जायेगा। इसके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? सडक के किनारे फसलों पर खनन वाहन के आने जाने से मिटटी पडेगी तो श्रमिक फसलों की कटाई का कार्य नहीं करेगा तो इसकी भरपाई कौन करेगा।

उत्तर– श्री अमित कुमार सैनी, प्रधान प्रबन्धक, इन्वॉयरमेन्र्ट, मेसर्स ओवरसीज मिनटैक कन्सलटैन्ट, जयपुर, राजस्थान ने अवगत कराया कि खनन का कार्य यमुना किया जाना है, किसी भी किसान के खेतों के पास खनन नहीं किया जाना है, इससे जमीन के कटान की सम्भावना नही है। फसलों पर मिटटी जमा हो जायेगी तो श्रमिक फसल नहीं कटेगा के उत्तर में अवगत कराया गया कि खनन वाहनों को तिरपाल से ढक्कर चलाया जायेगा, पानी का छिडकाव सडक पर इस प्रकार किया जायेगा की धूल के कण फसलों पर जमा नहीं होगी।

प्रश्न–5 श्री हाजी महबूब, ग्राम–हैदरपुर, विकासखण्ड–सरसावा, जनपद–सहारनपुर द्वारा पूछा गया कि खनन वाहनों का रास्ता किसी के खेत में जाने से नुकसान होगा।

उत्तर– श्री अमित कुमार सैनी, प्रधान प्रबन्धक, इन्वॉयरमेन्र्ट, मेसर्स ओवरसीज मिनटैक कन्सलटैन्ट, जयपुर, राजस्थान ने अवगत कराया कि किसी के खेत से रास्ता नहीं जायेगा किसी के खेत से रास्ता जाने की स्थिति में परियोजना के प्रतिनिधियों एवं जमीन के स्वामी के मध्य अनुबन्ध कराकर उनकी सहमति से हीं रास्ता जायेगा।

प्रश्न–6 श्री चौधरी प्रमोद, ग्राम–हैदरपुर, विकासखण्ड–सरसावा, जनपद–सहारनपुर द्वारा खनन की परियोजना की स्थापना के लिये खुशी जाहिर की।

उत्तर– श्री अमित कुमार सैनी, प्रधान प्रबन्धक, इन्वॉयरमेन्र्ट, मेसर्स ओवरसीज मिनटैक कन्सलटैन्ट, जयपुर, राजस्थान द्वारा श्री चौधरी प्रमोद का धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

प्रश्न–7 श्री निसार अहमद, पूर्व प्रधान शाहजहांपुर, सरसावा, सहारनपुर द्वारा यह प्रश्न किया गया कि माईनिंग लीज एरिया 52.63 हैक्टेयर, गाटा सं0–1/1 की निशान देही कैसे की जायेगी।

उत्तर– श्री अमित कुमार सैनी, प्रधान प्रबन्धक, इन्वॉयरमेन्र्ट, मेसर्स ओवरसीज मिनटैक कन्सलटैन्ट, जयपुर, राजस्थान ने अवगत कराया कि कार्यालय खनन अधिकारी के माध्यम से निशान देही करायी जायेगी।

मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सहारनपुर ने उपस्थित लोगों में से पूछा कि किसी को कोई और अन्य प्रश्न करना है, तो कर सकता है, किसी और अन्य व्यक्ति द्वारा कोई प्रश्न नहीं किया गया।

अन्त में श्री एस0आर0मौर्या क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर द्वारा मुख्य विकास अधिकारी महोदया, सहारनपुर एवं उपस्थित जन समूह के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लोक सुनवाई के समापन की घोषणा की ।

(एस0आर0मौर्या)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सहारनपुर।

(रेनू तिवारी)
आई0ए0एस0
मुख्य विकास अधिकारी
सहारनपुर।